न्यायालय, सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी

मुकाम श्रीकरणपुर, जिला श्री गंगानगर

पीठासीन अधिकारी : श्री श्योराम (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या: 37/2023(जी.सी.एम.एस. 2024/59)

वादी	बनाम	प्रतिवादीगण
1. गुरुप्रताप सिंह पुत्र सरजिन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी 5 ओ तहसील श्रीकरणपुर		1. तेजप्रताप सिंह पुत्र सरजिन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी 5 ओ तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर। 2. राजस्थान राज्य जरिए तहसील राजस्व, श्रीकरणपुर

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 88, 91 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

तारीख रजू 11.03.2024

उपस्थित: 1.श्री मनीष कुमार जांगिड अधिवक्ता वादीगण
2.श्री प्रेम नायक अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1

--निर्णय--

दिनांक: 16.05.2024

संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि राजस्व ग्राम 5 ओ. पटवार हल्का लखिया, भू.अ.नि. क्षेत्र लखिया, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2073 ता 2076 के खाता संख्या 11/12, 26/27, 69/65 मे वर्णित कृषि भूमि वादी एवं प्रतिवादी के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। वादी एवं प्रतिवादी आपस मे सगे भाई है। वादी एवं प्रतिवादी ने अपनी उक्त कृषि भूमि का आपसी सहमति व सहुलियत के लिए पिछले काफी वर्षो से पारिवारिक बंटवारा किया हुआ है। वादी को बंटवारा मे चक 5 ओ की जमाबन्दी सम्वत 2073 से 2076 के खाता संख्या 26/27 मे मुरबा नम्बर 33 मे 0.633 हैक्टेयर, मुरबा नम्बर 43 मे 0.379 हे0 नहरी कुल 1.012 हे0 नहरी भुमि, खाता न0 11/12 मे मुरबा नम्बर 50 मे 1.695 हे0, मुरबा नम्बर 51 के किला नम्बर 3 मे 0.188 हे0 पुर्व की दिशा मे ,4 मे 0.228 हे0 ,5 मे 0.228 हे0 ,6 ,7 मे 0.506 हे0 ,8 मे 0.212 हे0 पुर्व की दिशा मे 13 मे 0.213 हे0 पर्व की दिशा ,14 ,15 मे 0.506 हे0 कुल 2.081 हे0 नहरी भुमि व मुरबा नम्बर 61/17 मे 0.074 हे0 खाता कुल 2.155 हे0 नहरी मय खाता भुमि व खाता न0 69/65 मे मुरबा नम्बर 43 मे 1.290 हे0 , मुरबा नम्बर 51 मे किला नम्बर 16 ,17 मे 0.506 हे0 , 18 मे 0.213 हे0 पुर्व की दिशा मे ,23 मे 0.111 है0 ,24 मे 0.152 हे0 ,25/1 मे 0.139 हे0 ,25/2 मे 0.013 हे0 कुल हे0 नहरी भुमि कुल 1.134 हे0 नहरी व मुरबा नम्बर 61/18 मे 0.051 हे0 खाता कुल 1.185 हे0 नहरी मय खाता भुमि सभी खातो मे कुल 7.337 हे0 नहरी मय खाता भुमि प्राप्त हुई है। वादी व प्रतिवादी बंटवारा मे प्राप्त कृषि भूमि के अनुसार अपनी सुविधाओ के अनुसार कब्जा काश्त किए हुए है, लेकिन उक्त भूमि का आज तक विधिवत बंटवारा नहीं हुआ है एवं कुछ कृषि भूमि राजस्व अभिलेख मे एक दुसरे पक्षकारान के नाम मे अंकित है। राजस्व अभिलेख मे रकबा का बंटवारा के अनुसार विभाजन नहीं होने के कारण एवं रकबा दर्ज नहीं होने के कारण वादी को हर समय भारी कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है। वादी अपने हिस्सा की कृषि भूमि को हिस्सा, ठेका पर काश्त करवाने, पानी की बारी बंधवाने, कृषि भूमि पर बैंक ऋण आदि प्राप्त करने, कृषि भूमि पर प्राप्त होने वाली राज्य सरकार/केन्द्र सरकार से अनुदान राशि, मुआवजा राशि इत्यादि प्राप्त करने अन्य विभिन्न समस्याओं से जूझना पड़ता है। इस कारण वादी अपने कब्जा व काश्त के अनुसार हिस्सा का अन्य प्रतिवादी से जोत विभाजन करवाकर, कब्जा अनुसार रकबा का अंकन राजस्व अभिलेख मे करवाना चाहता है और इसी कारण वाद पत्र माननीय न्यायालय मे प्रस्तुत कर रहा है। वादपत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार, अर्थाधिकार व पूर्ण कोर्ट फीस पर पेश है। अतः वादपत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादी का वादपत्र स्वीकार किया जाकर बंटवारानामा अनुसार पक्षकारान का विधिवत जोत विभाजन करवाया जाकर खाता व नम्बर अलग से कायम करने के आदेश प्रदान किए जावे।

उपखण्ड अधिकारी, राजस्व
श्री करणपुर

वाद पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री प्रेम नायक उपस्थित आए व जवाबदावा मय काउन्टर क्लेम पेश किया। काउन्टर क्लेम के अनुसार प्रतिवादी का काउन्टर क्लेम स्वीकार किया जाकर चक 5 ओ की जमाबन्दी सम्वत 2073 ता 2076 के खाता संख्या 11/12 मे मुरबा नम्बर 51 के किला नबर 1 मे 0.227 हे0 ,2 मे 0.227 हे0 3 मे 0.040 हे0 पश्चिम की दिशा मे 8 मे 0.041 हे0 पश्चिम की दिशा मे ,9 ,10 ,11 ,12 मे 1.012 हे0 ,13 मे 0.040 है. पश्चिम की दिशा मे कुल 1.587 है. नहरी भुमि व मुरब्बा नबर 61/17 मे 0.052 हे0 खाला कुल 1.639 हे0 नहरी मय खाला भुमि व खाता स0 69/65 मे मुरबा नबर 51 मे किला नबर 18 मे 0.040 हे0 पश्चिम की दिशा मे ,19 ,20 मे 0.506 हे0 ,21 मे 0.152 हे0 ,22 मे 0.152 है ,23 मे 0.041 हे0 कुल 0.891 है. नहरी भुमि कुल 2.530 है. नहरी मय खाला भुमि का खाता व लगान अलग से प्रतिवादी संख्या 1 के नाम किए जाने के आदेश फरमावे। जवाब स्टेट पेश नहीं करने पर बन्द किया गया। वादी को प्रतिवादी संख्या 1 का काउन्टर क्लेम स्वीकार है। प्रतिवादी संख्या 1 को वादी का वादपत्र स्वीकार है। इसलिए प्रकरण में वाद बिन्दू कायम नहीं किए गए। अधिवक्तागण के द्वारा निवेदन किया कि प्रकरण में मुताविक राजस्व रिकॉर्ड प्राथमिक डिक्री जारी कर तहसीलदार श्रीकरणपुर से विभाजन प्रस्ताव मंगवाया जाकर वाद पत्र व काउन्टर क्लेम डिक्री किये जाने के आदेश दिये जावे।

3. पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रस्तुत वादपत्र मय शपथपत्र एवं दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन किया गया तथा बहस पर गौर कर मनन किया गया। वस्तुतः वादी व प्रतिवादी संख्या 1 राजस्व रिकॉर्ड में खातेदार काश्तकार है। लिहाजा वादी व प्रतिवादी संख्या 1 अपनी आराजी का बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स राजस्व रिकॉर्ड दर्ज भूमि अनुसार तकासमा चाहते है। लिहाजा वादी व प्रतिवादी संख्या 1 के हिस्से की भूमि का बाई मिट्स एण्ड वाउण्ड्स के बंटवारा की प्राथमिक डिक्री जारी कर बंटवारा करवाया जाना उचित समझते हुए माफिक प्राथमिक डिक्री इस आशय की जारी की गई कि चक 5 ओ, पटवार हल्का लखियां, भू.अ.नि. क्षेत्र लखियां, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2073 ता 2076 के खाता संख्या 11/12 के मुरब्बा नम्बर 50, 51, 61/17 की 5.489 हैक्टेयर, खाता संख्या 26/27 के मुरब्बा नम्बर 33, 43 की कुल 1.012 हैक्टेयर, खाता संख्या 69/65 के मुरब्बा नम्बर 43, 51, 61/18 की कुल 3.336 हैक्टेयर भूमि वादी व प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। जिसका माफिक राजस्व रिकॉर्ड, हिस्से माफिक भूमि का वादी व प्रतिवादी संख्या 1 के मध्य बंटवारा मौके पर बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स करवाया जाकर खाता एवं लगान अलग-अलग किया जावे। **शेष खाता एंव रहन बदस्तूर रहें।** तहसीलदार श्रीकरणपुर को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के नियम 18 से 21 की पालना में विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा अधिकृत किया गया तहसीलदार श्रीकरणपुर ने प्राथमिक डिक्री की पालना में बंटवारा रिपोर्ट/ विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा सहित प्रस्तुत की, सामिल मिसल की गई।

4. बहस अधिवक्तागण सुनी गई, बहस के दौरान उभयपक्ष अधिवक्तागण ने माफिक बंटवारा रिपोर्ट विभाजन प्रस्ताव वादी का वादपत्र व प्रतिवादी संख्या 1 का काउन्टर क्लेम डिक्री किया जाकर बंटवारा किये जाने की ईश्तदुआ की है। बहस उभयपक्ष अधिवक्तागण, तहसीलदार श्रीकरणपुर से प्राप्त पालना रिपोर्ट पर गौर किया। लिहाजा माफिक बंटवारा रिपोर्ट/विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा वादी का वाद पत्र व प्रतिवादी संख्या 1 का काउन्टर क्लेम डिक्री किया जाकर बंटवारा किया जाना हम उचित समझते है।

-:आदेश:-

5. अतः अंतिम डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की जारी की जाती है कि चक 5 ओ, पटवार हल्का लखियां, भू.अ.नि. क्षेत्र लखियां, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2073 ता 2076 के खाता संख्या 11/12 के मुरब्बा नम्बर 50, 51, 61/17 की 5.489 हैक्टेयर, खाता संख्या 26/27 के मुरब्बा नम्बर 33, 43 की कुल 1.012 हैक्टेयर, खाता संख्या 69/65 के मुरब्बा नम्बर 43, 51, 61/18 की कुल 3.336 हैक्टेयर भूमि में से वादी व प्रतिवादी संख्या 1 के हिस्से की भूमि का बंटवारा अर्थात विभाजन निम्नांकित रूप से किया जाता है:-

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

क्र.सं.	खातेदारान मय वल्दियान मकूना	राजस्व ग्राम	मु.न.	किला नं.	रकबा	किस्म	लगान रुपए में
[illegible]	[illegible] सिंह पुत्र सरजिन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी 5 ओ तहसील श्रीकरणपुर [illegible] हैक्टेयर	5 ओ	33	11,12	0.506 हैक्टेयर	नहरी	4.20
				13/2	0.127 हैक्टेयर	नहरी	1.05
			43	1,10,11	0.759 हैक्टेयर	नहरी	6.30
				19/1	0.126 हैक्टेयर	नहरी	1.05
				19/3	0.025 हैक्टेयर	नहरी	0.21
				20,21	0.506 हैक्टेयर	नहरी	4.20
				22	0.253 हैक्टेयर	नहरी	2.10
			50	1	0.228 हैक्टेयर	नहरी	1.89
				2/2	0.101 हैक्टेयर	नहरी	0.84
				9/2	0.126 हैक्टेयर	नहरी	1.05
				10,11	0.506 हैक्टेयर	नहरी	4.20
				12/2	0.127 हैक्टेयर	नहरी	1.05
				19/2	0.126 हैक्टेयर	नहरी	1.05
				20	0.253 हैक्टेयर	नहरी	2.10
				21	0.152 हैक्टेयर	नहरी	1.26
				22/2	0.076 हैक्टेयर	नहरी	0.63
			51	3/2	0.188 हैक्टेयर	नहरी	1.56
				4	0.228 हैक्टेयर	नहरी	1.89
				5	0.228 हैक्टेयर	नहरी	1.89
				6,7	0.506 हैक्टेयर	नहरी	4.20
				8/2	0.212 हैक्टेयर	नहरी	1.76
				13/2	0.213 हैक्टेयर	नहरी	1.77
				14 ता 17	1.012 हैक्टेयर	नहरी	8.40
				18/2	0.213 हैक्टेयर	नहरी	1.77
				23/2	0.111 हैक्टेयर	नहरी	0.92
				24	0.152 हैक्टेयर	नहरी	1.26
				25/1	0.139 हैक्टेयर	नहरी	1.15
				25/2	0.013 हैक्टेयर	नहरी	0.11
			61/18		0.051 हैक्टेयर	गै.मु.खा.	0.00
			61/17		0.071 हैक्टेयर	गै.मु.खा.	0.00
2	तेजप्रताप सिंह पुत्र सरजिन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी 5 ओ तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर। (2.530 हैक्टेयर)	5 ओ	51	1	0.227 हैक्टेयर	नहरी	1.88
				2	0.227 हैक्टेयर	नहरी	1.88
				3/1	0.040 हैक्टेयर	नहरी	0.33
				8/1	0.041 हैक्टेयर	नहरी	0.34
				9 ता 12	1.012 हैक्टेयर	नहरी	8.40
				13/1	0.040 हैक्टेयर	नहरी	0.33
				18/1	0.040 हैक्टेयर	नहरी	0.33
				19,20	0.506 हैक्टेयर	नहरी	4.20
				21	0.152 हैक्टेयर	नहरी	1.26
				22	0.152 हैक्टेयर	नहरी	1.26
				23/2	0.041 हैक्टेयर	नहरी	0.34
			16/17		0.052 हैक्टेयर	गै.मु.खा.	0.00

शेष खाते एंव रहन बदस्तूर रहेगें। उक्त प्रकरण में राजस्व हानि की गणना करते हुए राशि राजकोष में जमा करवाकर तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे। बंटवारा रिपोर्ट/ विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय का एक भाग माना जावे। स्टाम्प ड्यूटी पेश होने पर डिक्री पर्चा बनाया जाकर पत्रावलीबद्ध किया जावे। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफतर/ लेख भण्डार जमा हो।

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर, जिला श्रीगंगानगर
श्री करणपुर

निर्णय आज दिनांक 16.05.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर, जिला श्रीगंगानगर
श्री करणपुर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)